न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 2/26 सन् 2026

जीसीएमएस संख्या 2026/18

बउनवानी :–1. लाडबाई पुत्री छीतर पत्नि हरपाल जाति गुर्जर निवासी त्रिलोकपुरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।

2. नुरकां पुत्री छीतर पत्नि हरिराम गुर्जर निवासी ग्राम नीमोद तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर।

बनाम

1. मथुरालाल पुत्र छीतर उम्र 74 वर्ष
2. चौथमल पुत्र छीतर उम्र 72 वर्ष
3. जन्सी लाल पुत्र छीतर उम्र 65 वर्ष
4. बंशीलाल पुत्र छीतर उम्र 56 वर्ष
5. गीता पत्नि स्व० लक्ष्मण उम्र 70 वर्ष
6. भंवरलाल पुत्र स्व० लक्ष्मण उम्र 48 वर्ष
7. मुकन लाल पुत्र स्व० लक्ष्मण उम्र 42 वर्ष
8. मनराज पुत्र स्व० लक्ष्मण उम्र 35 वर्ष समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम बगीना तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध न्यायालय उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा मे जैरकार अपील संख्या 5/2025 उनवानी लाडबाई बनाम मथुरालाल वगै. अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थितः 1. श्री श्रीदास सिंह राजावत वकील प्रार्थी

2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :–

दिनांक 01.4.2026

वकील प्रार्थी ने न्यायाालय उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा में विचाराधीन अपील संख्या 5/2025 उनवानी लाडबाई बनाम मथुरालाल वगै. के विरूद्व अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि प्रार्थीगण ग्राम बगीना की रहने वाली है, प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण आपस में भाई बहन हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण नं० 1 लगायत 4 के पिता छीतर की सन् 2000 में मृत्यु हो गई थी इनकी मृत्यु के बाद उनकी काश्त आराजीयात ग्राम बगीना तहसील चौथ का बरवाड़ा का नामान्तरकरण संख्या 83 दिनांक 20.04.2001 ग्राम पंचायत झौपडा द्वारा खोला गया था जिसमें प्रार्थीगण का नाम दर्ज नही किया गया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 17.10.25 को होने पर प्रार्थीगण ने इस नामान्तरकरण की अपील न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा में की है जिसमें अगली तारीख पेशी दिनांक 25.02.26 नियत हैं। न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा के पीठासीन अधिकारी श्री जोगेन्द्र सिंह अप्रार्थी नं० 3 से मिले हुए है जिन्होंने दिनांक 14.01.26 को प्रार्थीगण को खुले न्यायालय में धमकाया तथा कहा कि तुमने झूठा मुकदमा किया है मैं इसे निरस्त करूँगा। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी नं० 3 से मिले हुए है जिनसे प्रार्थीगण को न्याय मिलने की

(कानाराम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 02/2026 उनवानी लाड बाई बनाम मथुरालाल वगै)

कोई उम्मीद नहीं हैं। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी नं० 3 का पक्ष ले रहे है। प्रार्थीगण मृतक छीतर की पुत्रियाँ है जिनका मृतक छीतर की खातेदारी की आराजीयात में उसके पुत्रों के बराबर का कानूनी अधिकार हैं। मृतक छीतर के पुत्रों के मध्य न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा में 2 दावे चल रहे है एक दावा अप्रार्थी नं० 3 ने बेदखली का कर रखा है तथा एक मुकदमा अप्रार्थी नं० 3 ने तकासमा का कर रखा है जिसमें पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी नं० 3 का खुले तौर पर पक्ष ले रहे है इसलिए प्रार्थीगण का उन पर से विश्वास उठ गया हैं। न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा माननीय न्यायालय के अधीनस्थ है इसलिए प्रार्थना पत्र सुनवाई का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उनवानी अपील को लाडबाई बनाम मथुरालाल वगै० न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा से न्यायालय उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर को स्थानान्तरित करने की कृपा करें।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि हम प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व पक्षकारान के पिता छीतर की विरासत के खोले गये नामा0 नामा0 संख्या 83 दिनांक 20.4.2021 वाके ग्राम बगीना के विरूद्व एक अपील उपजिला कलेक्टर न्यायालय चौथ का बरवाडा मे पेश की गयी है दिनांक 7.11.2025 को दर्ज रजिस्टर हुई है एवं प्रकरण 25.2.2026 को वास्ते बहस हेतु जैरकार है। अप्रार्थीगण की पीठासीन अधिकारी से कोई सांठ गांठ नही है। केवल मात्र अधीनस्थ न्यायालय मे जैरकार उक्त अपील के निर्णय में देरी करने की गरज से निराधार एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है ।

उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा द्वारा भी अपनी टिप्पणी मे अंकित किया कि प्राथीगण लाडबाई पुत्री छीतर गुर्जर निवासी त्रिलोकपुरा द्वारा उपजिला कलेक्टर न्यायालय चौथ का बरवाडा मे मु0न0 5/2025 उनवानी लाडबाई बनाम मथुरालाल वगै. अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट पेश कर रखी है जिसमे आगामी तारीख पेशी 22.4.2026 वास्ते बहस साक्ष्यवादी नियत है। परिवादी लाडबाई द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपो के संबांध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया है। यदि उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापो की पुष्टि वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात यथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका इत्यादि के आधार पर नही होती है किन्तु उपजिला कलेक्टर कार्यालय चौथ का बरवाडा द्वारा परिवादी जन्सीलाल के प्रर्थना पत्र पर प्रशासनिक स्तर से तहसीलदार चौथ का बरवाडा को नियमानुसार बेदखली हेतु लिखे गये पत्र से अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर प्रार्थी का संदेह करना उचित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की संतुष्टि के लिए उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित अपील को दीगर न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाना उचित समझते है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना स्वीकार किया जाकर उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के न्यायालय मे विचाराधीन वाद संख्या 5/2025 उनवानी लाडबाई बनाम मथुरालाल वगै.को सुनवायी हेतु उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाता है। पक्षकार दिनांक 12.5.2026 को न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर में उपस्थित होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner